न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

मगसिंह पुत्र श्री कानसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- आहोर, जिला- जालोर

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 73/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या: 179/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2018 बाबत ग्राम केराल के खसरा संख्या 134 रकबा 0.02 बीघा किस्म रास्ता भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करने हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना अरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के पुत्रों की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के खसरा संख्या 132 रकबा 24.18 बीघा एवं खसरा संख्या 133 रकबा 0.08 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलार्थी के उक्त खातेदारी कृषि भूमि से लगते हुए खसरा संख्या 134 की रास्ते की भूमि आई है तथा मौके पर खसरा संख्या 134 की रास्ता भूमि खुली हुई है और मौके पर आवागमन हेतु उपयोग में आ रही है। अपीलार्थी ने अपने उक्त कृषि कूएं व आराजी में प्रवेश हेतु अपने पुत्रों की खातेदारी भूमि में दरवाजा लगाया है। अपीलार्थी ने खसरा संख्या 134 की रास्ता भूमि पर न तो अतिक्रमण किया है व न ही खसरा संख्या 134 किस्म रास्ता भूमि को अवरुद्ध किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को खसरा संख्या 134 रकबा 0.02 बीघा किस्म रास्ता भूमि का अतिक्रमी मानकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की अपीलार्थी को तामिल नही हुई है तथा अधीनस्थ

....पेज दो पर

न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस की तामिल करवाये विना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसके कारण अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सका है। यह कि अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी होने पर कि हल्का पटवारी, रोवाडा ने कुछ व्यक्तियों के दबाव में आकर अपीलार्थी के विरुद्ध खसरा संख्या 134 किस्म रास्ता रकबा 0.02 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण बाबत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तब अपीलार्थी ने दिनांक 20.9.2018 को तहसीलदार, शिवगंज को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति पेश की गई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 20.9. 2018 को ही जवाब मानकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को यह चाहिये था कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर अपीलार्थी की उपस्थिति में विवादित भूमि व अपीलार्थी के खातेदारी भूमि का नाप जोख करवाकर व अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस की तामिल करवाकर अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, रोवाडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2075 में ग्राम केराल के खसरा संख्या 134 रकबा 0.02 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर कब्जा मय फाटक व पीलर लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.9.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार निर्णय पारित किया है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, रोवाडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2075 में ग्राम केराल के खसरा संख्या 134 रकबा 0.02 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा मय फाटक व पीलर लगाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को तामिल नही करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि दिनांक 20.9.2018 को अपीलार्थी मगसिंह ने तहसीलदार, शिवगंज के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के पुत्र प्रतापसिंह एवं यशपालसिह ने ग्राम केराल के खसरा संख्या 132 रकबा 24.18 बीघा एवं खसरा संख्या 133 रकबा 0.08 बीघा भूमि जरिये बेचान रजिस्ट्री विमलाबाई, भैरुसिंह, तेजसिंह, साकिन केराल से मय बेरे के मोल खरीद की है, मुझ प्रार्थी द्वारा बेरे के मुख्य गेट पर दरवाजा निर्माण करवाकर लोहे का गेट लगवाया गया है जिस पर खसाराम, पीराराम कुम्हार, साकिन केराल द्वारा आपत्ति प्रकट करने पर हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मेरी गैर मौजूदगी में मौका मुआयना

.....पेज तीन पर

रिपोर्ट मुर्तिब की गई है, जो न्याय संगत नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.9.2018 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज ने जवाब मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.11.2018 को किया गया है जो विधि सम्मत नही है। जब अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई मौका जांच पर आपत्ति की गई थी, तब उस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि के मौके की जांच/पैमाईश अपीलार्थी की उपस्थिति में करवाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज ने विवादित भूमि के मौके की अपीलार्थी की उपस्थिति में जांच/सीमाज्ञान करवाये बिना व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर बदखली आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज को विवादित भूमि के मौके की जांच/पैमाईश अपीलार्थी की उपस्थिति में करवाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने बाबत पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.11.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी की उपस्थिति में विवादित भूमि के मौके की जांच/पैमाईश करवाकर व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.12.23 18:34:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: